शिपयार्डों में मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है।

नौवहन महानिदेशक केवल उन मामलों में विदेशों से मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान करते हैं, जहां भारतीय मरम्मत यार्डों में ड्राई डॉकिंग के लिए अपेक्षित स्लाट्स उपलब्ध नहीं होते।

(ख) से (घ) जहाज मरम्मत कार्य के स्वरूप और सीमा के कारण जहाजों की मरम्मत पर होने वाले वार्षिक खर्च का अनुमान सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन कंपनियों द्वारा विदेशों से कराई गई मरम्मत/ड्राई डाकिंग और इन जहाजों के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद पर विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च निम्नलिखित है :-

वर्ष	किया गया खर्च
	(करोड़ रु०)
1988-89	102.65
1989-90	114.05
1990-91	147.45

भारत में जहाज मरम्मत सुविधाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा उनके तकनीकी परामर्श सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन में लगभग सात महीने लगेंगे, उसके 1.8.91 से शुरू किये जाने की संभावना है।

सरकार ने अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाओं के सृजन के लिए इस सेक्टर में निवेश हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जहाज मरम्मत उद्योग को कई रियायतें और प्रोत्साहन भी दिए हैं। मद्रास पत्तन में निजी सेक्टर में हाल ही में एक आधुनिक जहाज मरम्मत यूनिट स्थापित किया गया है जिसमें दो फ्लोटिंग ड्राई डाक्स हैं।

संचार व्यवस्था में सुधार

278. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः मास में संचार व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सुधार क्या-क्या हैं और कहां-कहां किए गए हैं;

(ग) क्या इन सुधारों की श्रृंखला में वर्तमान केबिल के स्थान पर आप्टीकल फाइबर केबिल भी लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में ये नए आप्टीकल फाइबर केबिल किन-किन स्थानों पर लगाए गए हैं और उनके लगाए जाने से इन क्षेत्रों के कितने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय और एसटीडी कालों की काल पूर्णता दर में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। ऐसे सुधार आमतौर पर सारे देश में हुए हैं।

(ग) जी नहीं। स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली में एक्सचेंजों के बीच जंक्शन सर्किट और एसटीडी के लिए लंबी दूरी के सर्किट प्रदान करने के लिए आप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियां इस्तेमाल की जा रही हैं। ये परंपरागत ताबें की तारों के साथ ही जोड़ी जाती हैं।

(घ) आप्टिकल फाइबर रूट और अंतः एक्सचेंज जंक्शन कार्यप्रणाली के अधीन शामिल किये गए स्थानों के नाम विवरण में दिये गए हैं। क्योंकि एसटीडी कालें इन केबलों के जरिए दी जाती हैं इसलिए इन केबलों की संस्थापना द्वारा

देश के सभी ग्राहकों को फायदा हुआ है।

विवरण

आप्टिकल फाईबर मार्गों पर शामिल किए गए खानों के नाम नीचे दिये गए हैं।

1. लंबी दूरी की आप्टिकल फाईबर प्राण लियों का ब्यौरा

(1) नई दिल्ली–जयपुर–अजमेर उदयपुर–अहमदाबाद–बडोदा–सूरत–बंबई 140 एमबी/एस

(2) नई दिल्ली–गुडगांव–रिवाड़ी 14 एमबी/एस

(3) अजमेर–विजयनगर 34 एम बी/एस

(4) अजमेर–मदनगंज 34 एमबी/एस

(5) नई दिल्ली–गाजियाबाद–आगरा फिरोजाबाद–कानपुर–लखनऊ–वाराणसी 140 एमबी/एस

(6) गाजियाबाद–हापुड़–बुलन्द-शहर 34 एमबी/एस

(7) अलीगढ़–आगरा 34 एमबी/एस

(8) हाथरस–आगरा 34 एमबी/एस

(9) अलीगढ़–हाथरस 34 एम बी/एस

(10) कानपुर–उन्नाव 34 एमबी/एस

(11) फिरोंजाबाद–इटावा 34 एमबी/एस

(12) बंबई–थाणे–नासिक–भिवन्डी मालेगांव–धुलियां 140 एमबी/एस

(13) बंबई–पनवेल–खपोली–तालेगांव–पुणे 140 एमबी/एस

(14) बंबई–वापी–34 एमबी/एस

(15) बंबई –सूरत 140 एमबी/एस

(16) अहमदाबाद–गांधी नगर 140 एमबी/एस

(17) बंबई–दहनु 140 एमबी/एस

(18) वापी–उम्बेरगांव 34 एमबी/एस

(19) पालघाट–त्रिचुर–इरिन्जल-कोडा–अलवई-एर्नाकुलम–कोट्टायम–तिरूवल्ला–किलोन–त्रिवेन्द्रम 140 एमबी/एस

2. आप्टिकल फाइबर केबिल पर कार्य कर रहे अंत:–एक्सचेंज जंक्शन के लिए स्थानीय नेटवर्क वाले स्थानों के नाम

(7) नई दिल्ली

(2) बंबई

(3) कलकत्ता

(4) मद्रास

(5) हैदराबाद

(6) पुणे

(7) कानपुर

(8) इन्दोर

Clearance of Major Projects by Previous Government

279. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state whether any major projects were cleared by the previous Government involving sizeable capital expenditure; if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): No, Sir.

Cancellation of Telephone Connections from M. Ps Quota

280. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have issued any orders for the cancellation of the telephone connections sanctioned by the previous Government and if so, the details thereof; and